विधानसभा/महत्वपूर्ण

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 36 /संचा.–वि.स./2026 नवा रायपुर, दिनांक 30/6 /2026

प्रति,

1. **प्रबंध संचालक,**
   छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
   अटल नगर, नवा रायपुर

2. **प्रबंध संचालक,**
   अपेक्स बैंक,
   अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

3. **समस्त कलेक्टर**
   छत्तीसगढ़

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1006 तारांकित द्वारा श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1006 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 02.07.2026** तक ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक 37 /संचा.–वि.स./2026 नवा रायपुर, दिनांक 30/6 /2026

प्रतिलिपि :–

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **10/07/2026**

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **17/07/2026** विभाग का नाम : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण**

विषय : **अमानक से राजस्व क्षति**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **1006**) **श्रीअजय चंद्राकर**

क्या **खाद्य मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) खरीफ वर्ष 2023-24 से 2025-26 के धान खरीदी में कितनी मात्रा में, किन-किन कारणों से धान अमानक हुयें? किसानों से खरीदी गई धान के मूल्यों के आधार पर उसका कितना मूल्य होता है तथा इसके कारण राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ व इसके जिम्मेदार/दोषी कौन-कौन है एवं भरपाई के लिये राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये? वर्षवार बतायें? (ख) राज्य सरकार द्वारा ऑनलाईन ऑक्शन के माध्यम से धान एवं चांवल का विक्रय करने का निर्णय किन कारणों से लिया गया एवं उक्त वर्षो में कितनी-कितनी मात्रा में, किस दर पर विक्रय किया गया एवं किसानों से खरीदी गयी धान के मूल्यों के आधार पर कितनी राशि का नुकसान हुआ? वर्षवार बतायें? (ग) खरीफ वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक मार्कफेड द्वारा कितनी-कितनी राशि, किन-किन संस्थाओं से, कितनी अवधि के लिये, किस ब्याज दर पर कुल कितनी राशि का ऋण लिया गया और उनमे से कितने ऋणों की अदायगी हो चुकी है व कितनी शेष है तथा उसकी ब्याज अदायगी प्रति माह/वर्ष कितनी है? वर्षवार बतायें? 15 जून, 2026 की स्थिति में मार्कफेड को राज्य सरकार से कितनी राशि, किस मद से लेना था? और कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा मार्कफेड को अदायगी की गयी व कितनी शेष रही?

उत्तर :

समस्त कलेक्टर /
मार्कफेड / अपेक्स